पुलिस आदेश सं० २५१/९५

पुलिस आदेश संख्या २३८/९३ में संशोधन

कंडिका ७ कृपांक

(ख) "अधिकतम १० प्रतिशत कृपांक २ विषयों में एक इनडोर विषय तथा दूसरे आउटडोर विषय में अलग-अलग दिया जा सकता है", को विलोपित किया जाता है।

इसके स्थान पर निम्नलिखित आदेश पढ़ा जाय "किसी भी दो विषयों में चाहे वह बाह्य विषय हो अथवा अन्त: विषय उनमें १०-१० प्रतिशत कृपांक दिया जा सकता है।"

ह० (जी० पी० दोहरे)
महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ४९०/प्रशिक्षण, पटना।

दिनांक २६-४-९५

प्रतिलिपि :
१. सभी समादेष्टा, बि० सै० पु० को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
२. सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी रेल आरक्षी अधीक्षक/आरक्षी अधीक्षक (सी०), अप० अनु० वि०/आरक्षी अधीक्षक (टी०) वि० शा०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
३. सभी क्षेत्रीय उ०म०नि०/उ०म०नि० रेलवे, बिहार को सूचनार्थ।
४. सभी उ० म० नि०, सै० पु०/उ० म० नि० (प्रशासन)/म० नि० (प्रशासन)/म० नि० सै० पु०, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
५. प्राचार्य सह उ० म० नि०, पी० टी० सी०, हजारीबाग/आ० अ०, एम० पी० टी० सी०, पदमा/प्राचार्य, सी० टी० एस०, नाथनगर/टी० टी० एस० जमशेदपुर को आवश्यक क्रियार्थ।
६. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक को सूचनार्थ।

(एम० के० सिन्हा)
आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)
बिहार, पटना।

5

6

आरक्षी महानिरीक्षक [अभियान] के कार्यों में आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक [कार्मिक] उनकी स करेंगे। आरक्षी महानिरीक्षक [अभियान] आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कार्मिक) के नियंत्रक पद होंगे।

(५) आरक्षी महानिरीक्षक [राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो]

इनका दायित्व राज्य के अपराध अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण होगा तथा उनके कार्य उप-महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उनकी सहायता करेंगे।

आरक्षी महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के नियंत्रक पदाधिकारी अपर आरक्षी मह (आधुनिकीकरण एवं संचार) होंगे।

(६) आरक्षी महानिरीक्षक [अपराध नियंत्रण]

इनके नियंत्रक पदाधिकारी, अपर महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग होंगे।

उप-महानिरीक्षक [विशेष कार्य], उप-महानिरीक्षक [सहकारिता कोषांग], उप-महानिरीक्षक [उप-महानिरीक्षक [हरिजन कोषांग], उप-महानिरीक्षक [आर्थिक अपराध कोषांग] एवं उप-महानिरीक्षक निरोध], आरक्षी महानिरीक्षक [अपराध नियंत्रण] को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करेंगे।

(७) आरक्षी महानिरीक्षक [आसूचना]

इनके नियंत्रक पदाधिकारी अपर आरक्षी महानिदेशक [विशेष शाखा] होंगे तथा आरक्षी उप-महानि विशेष शाखा-१ तथा आरक्षी उप-महानिरीक्षक विशेष शाखा-२ आरक्षी महानिरीक्षक [आसूचना] को उनके में सहायता प्रदान करेंगे।

(८) आरक्षी महानिरीक्षक [बिहार सशस्त्र पुलिस]

इनके कार्य एवं दायित्व पूर्ववत् रहेंगे। वे सारे पुलिस केन्द्र, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स इत्यादि के भी प्र रहेंगे। सहायक आरक्षी महानिरीक्षक, सशस्त्र बल इनकी सहायता करेंगे। आरक्षी महानिरीक्षक, सशस्त्र उनके नियंत्रक पदाधिकारी होंगे।

(९) आरक्षी महानिरीक्षक [रेलवे पुलिस]

इनके कार्य एवं दायित्व पूर्ववत् रहेंगे। वे अपर आरक्षी महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग अधीन रेलवे पुलिस का कार्य निष्पादन करेंगे। अपर आरक्षी महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग इ नियंत्रक पदाधिकारी होंगे।

(१०) आरक्षी महानिरीक्षक [प्रशासन]

इस पुलिस आदेश द्वारा अन्य आरक्षी महानिरीक्षकों को आवंटित कार्य एवं दायित्व को छोड़कर सारी जिम्मेदारियाँ यथावत रहेंगी। आरक्षी उप-महानिरीक्षक [मुख्यालय] एवं आरक्षी उप-महानिरीक्षक [प्रशासन] उनके कार्यों में सहायता करेंगे। आरक्षी महानिरीक्षक [प्रशासन] उन दोनों के नियंत्रक पदाधिका रहेंगे।

सहायक आरक्षी महानिरीक्षक [कल्याण] एवं [प्रशासन], दोनों पूर्णतः एवं सहायक आरक्षी महानिरीक्ष [निरीक्षण], [क्यू] तथा [कार्मिक] अपने अन्य कार्यों के अलावे उप-महानिरीक्षक [मुख्यालय] एवं [प्रशासन की सहायता करेंगे।

उपरोक्त कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत सभी सहायक महानिरीक्षक का कार्य आवंटन एवं नियंत्रण संलग्न सूची के अनुसार रहेगा।

इस आदेश के पश्चात् पूर्व में निर्गत कार्य आवंटन के सभी आदेश तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे।

उपरोक्त आदेश के अलावा, आवश्यकतानुसार महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक किसी भी पदाधिकारी को कोई भी काम निष्पादन हेतु सौंपेंगे।

संशोधित संगठनात्मक रूप-रेखा भी संलग्न है।

विजय जैन

(विजय जैन)
महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक ३३३३/स्था० दिनांक २१-१२-९४

प्रतिलिपि—अपर महानिदेशक, विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/तकनीकी सेवायें, बिहार, पटना ।

२. सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन)/आरक्षी महानिरीक्षक, विशेष शाखा/आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग (आपरेशन)/क्राईम कन्ट्रोल/आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे पुलिस/आरक्षी महानिरीक्षक, सशस्त्र बल/प्रोविजन/आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटर/आरक्षी महानिरीक्षक, क्राईम रेकर्ड ब्यूरो, बिहार, पटना ।

३. आरक्षी उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय)/(प्रशासन), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

४. सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक [सैन्य पुलिस एवं रेलवे सहित]/उप-महानिरीक्षक [वितंतु]/आरक्षी उप-महानिरीक्षक-सह-प्राचार्य, पी. टी. सी. हजारीबाग/प्राचार्य, सी. टी. एस. नाथनगर/प्राचार्य/टी. टी. एस. जमशेदपुर ।

५. सभी आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (सैन्य पुलिस सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

६. सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित)/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस ।

७. निबंधक, महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

८. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

(11) — ५१,

विजय जैन

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।